सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 03, गुरूवार, शाके 1944-अगस्त 25, 2022
Bhadra 03, Thursday , Saka 1944- August 25, 2022

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 25, 2022

संख्या एफ15(45)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2022/1125 :- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी / 22/1966 दिनांक 07.07.2022 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण ग्राम पंचायत बहादुरपुर पट्टी मीरान, बहादुर पट्टी जोडिया, भजेडा एवं समीपस्त ग्राम पंचायत किथुर के राजस्व ग्राम बहादुरपट्टी पहाडी, ग्राम पंचायत सैंथली के राजस्व ग्राम मुडियाखेडा को सम्मिलित करते हुए चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत बहादुरपुर पट्टी मीरान, बहादुर पट्टी जोडिया, भजेडा एवं समीपस्त ग्राम पंचायत किथुर के राजस्व ग्राम बहादुर पट्टी पहाडी, ग्राम पंचायत सैंथली के राजस्व ग्राम मुडियाखेडा (जिला अलवर) की विद्यमान सीमायें ही नवगठित नगर पालिका बहादुरपुर (किशनगढबास) की स्थानीय सीमायें रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/22/1966 दिनांक 07.07.2022 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका बहादुरपुर (किशनगढबास) में सम्मिलित ग्राम पंचायत बहादुरपुर पट्टी मीरान, बहादुर पट्टी जोडिया, भजेडा एवं समीपस्त ग्राम पंचायत किथुर के राजस्व ग्राम बहादुर पट्टी पहाडी, पंचायत समिति- किशनगढबास तथा ग्राम पंचायत सैंथली के राजस्व ग्राम मुडियाखेडा, पंचायत समिति-उमरैण, जिला अलवर को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
नवीन जैन,
शासन सचिव।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 25, 2022

सख्या एफ15(45)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2022/1126 :- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी / 22/1966 दिनांक 07.07.2022 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण ग्राम पंचायत बहादुरपुर पट्टी मीरान, बहादुर पट्टी जोडिया, भजेडा एवं समीपस्त ग्राम पंचायत किथुर के राजस्व ग्राम बहादुर पट्टी पहाडी, ग्राम पंचायत सैंथली के राजस्व ग्राम मुडियाखेडा को सम्मिलित करते हुए बहादुरपुर (किशनगढबास) को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । जिसमें ग्राम पंचायतों के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं आंशिक भाग को सम्मिलित किया गया है ।

अत: जिन ग्राम पंचायतों के आंशिक भाग को नगरपालिका की सीमा में सम्मिलित किया गया है, उन ग्राम पंचायतों के शेष भाग को नई ग्राम पंचायत बनाने अथवा उस भाग को किसी अन्य ग्राम पंचायत में सम्मिलित करने के लिये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते अधिनियम की धारा-9 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर, अलवर को प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के पश्चात् तैयार किये गये प्रस्तावों को राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के लिये अधिकृत किया जाता है ।

आज्ञा से,
नवीन जैन,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।